उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

बनाम

अशोक कुमार श्रीवास्तव और अन्य

(सिविल अपील संख्या 6967/ 2013)

21 अगस्त, 2013

[अनिल आर. दवे और दीपक मिश्रा, जे.जे.]

सेवा कानून:

वरिष्ठता- वरिष्ठता की तिथि-पदोन्नति आदेश की तारीख से वरिष्ठता प्रदान की गई - पदोन्नत व्यक्ति ने पूर्वव्यापी वरिष्ठता का दावा किया उस तारीख से जिस तारीख को रिक्ति निकली थी - उच्च न्यायालय ने प्रमोटी के दावे को इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि सेवा नियम रिक्ति उत्पन्न होने की तिथि से वरिष्ठता निर्धारण का प्रावधान करते हैं; और यह कि प्रमोटी के खिलाफ भेदभाव किया गया है क्योंकि अन्य 10 प्रमोटी को रिक्ति उत्पन्न होने की दिनांक से वरिष्ठता प्रदान की गई थी- माना गया: उच्च न्यायालय द्वारा पदोन्नत व्यक्ति को पूर्वव्यापी वरिष्ठता प्रदान करना तर्कसंगत नहीं है - सेवा नियमों के अनुसार वरिष्ठता की गणना नियुक्ति की तारीख से की जानी चाहिए, जब तक कि नियुक्ति पत्र में अन्यथा निर्धारित न हो - उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती की

कि भेदभाव हुआ था क्योंकि प्पश्नगत प्रमोटी और अन्य 10 प्रमोटी अलग-अलग नियमों द्वारा शासित थे - उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अध्यापको की सेवा नियमावली, 1990 - नियम 21 - भारत का संविधान - अनुच्छेद 14।

राज्य लोक सेवा आयोग ने 31.7.2001 को निकली रिक्ति के विरुद्ध रीडर के पद पर पदोन्नति के लिए प्रतिवादी नंबर 1 (आयुर्वेदिक कॉलेज में व्याख्याता) के नाम की सिफारिश की। आयोग की अनुशंसा पर राज्य. सरकार ने प्रतिवादी नंबर 1 को 16.08.2005 यानी पद्दोन्नति आदेश की दिनांक से वरिष्ठता प्रदान करते हुए पदोन्नत किया। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित फैसले में कहा कि सेवा नियम सरकार को रिक्ति की तारीख से वरिष्ठता तय करने का अधिकार देते हैं और 10 पदोन्नत लोगों को रिक्ति उत्पन्न होने की तिथि से वरिष्ठता प्रदान की गई है, इसलिए प्रतिवादी नंबर 1 को समान लाभ न देना भेदभाव के समान होगा। इसलिए वर्तमान अपील।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. पूर्वव्यापी वरिष्ठता प्रदान करने के लिए पहले प्रतिवादी का दावा बिल्कुल असमर्थनीय है और उच्च न्यायालय ने उसे उक्त लाभ देकर गलती की है। [पैरा 16] [861-एच; 862-ए]

2. उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 के नियम 21 के अनुसार अभ्यर्थियों की वरिष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश की तिथि से निर्धारित की जानी है। परंतुक यह निर्धारित करके एक अपवाद बनाता है कि यदि नियुक्ति आदेश एक विशेष पिछली तारीख को निर्दिष्ट करता है जिससे किसी व्यक्ति को मूल रूप से नियुक्त किया जाता है तो उस तिथि को मूल नियुक्ति का आदेश माना जाएगा अन्यथा यह आदेश जारी करने की तारीख होगी। दूसरे परंतुक में स्पष्ट किया गया है कि वरिष्ठता का निर्धारण तब किया जाएगा जब किसी एक चयन के संबंध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। पूर्वोक्त से, यह स्पष्ट है कि जब तक अन्यथा नियुक्ति पत्र में निर्धारित न हो, वरिष्ठता की गणना पद पर नियुक्ति की तारीख से की जानी चाहिए। मौजूदा मामले में, नियुक्ति पत्र में कुछ भी निर्धारित नहीं किया गया है। [पैरा 9] [856-जी-एच; 857-ए-बी]

3. उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष दर्ज करके गलती की है कि भेदभाव हुआ है, क्योंकि दस पदोन्नत व्यक्तियों को रिक्तियां उत्पन्न होने की तारीख से वरिष्ठता प्रदान की गई है। अपीलकर्ताओं की ओर से एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया गया है यह स्थिति स्पष्ट करते हुए कि जिन दस पदधारियों को पूर्वव्यापी वरिष्ठता का लाभ दिया गया था, उनका चयन उत्तर प्रदेश राज्य मेडिकल कॉलेज शिक्षक सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2005 के नियम 15 के तहत किया गया था। प्रतिवादी भिन्न

नियमों द्वारा शासित होता है और अन्य श्रेणी के शिक्षकों को जो प्रोन्नति दी गई है, वह अलग नियमों के तहत दी गई है। जब वरिष्ठता नियमों के दो अलग-अलग सेटों द्वारा शासित होती है, तो यह समझ से परे है कि कोई अन्य नियमों में निहित वरिष्ठता के निर्धारण से संबंधित नियम के आधार पर वरिष्ठता का दावा कर सकता है। प्रतिवादी संख्या 1 अपने मामले को 1990 के नियमों के नियम 21 पर आधारित करने के लिए बाध्य है जिसके द्वारा वह शासित है। भेदभाव का प्रश्न तब उठता जब राज्य सरकार ने 1990 के नियमों के नियम 21 के तहत समान नियमों द्वारा शासित समान पद वाले व्यक्तियों को लाभ दिया होता। [पैरा 6] [853-डी-ई; 854-एफ-एच; 855-ए-बी]

4. चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के नाम आयोग को भेजे गये। ज्ञात हो, छह उम्मीदवारों को पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया गया था और उनमें से किसी को भी रिक्ति निकलने की तारीख से पूर्वव्यापी वरिष्ठता नहीं दी गई थी। [पैरा 7] [855-सी-डी]।

5. उच्च न्यायालय ने लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर भरोसा किया जो दिनांक 4.6.2007 के प्रश्न का उत्तर था। आयोग ने पत्र दिनांक 10.8.2007 द्वारा कहा था कि प्रतिवादी नंबर 1 को रिक्ति सृजित होने की तिथि 31.7.2001 से पदोन्नति के लिए सिफारिश की गई है। आयोग ने अपनी स्पष्टीकरण अनुशंसा में अपने दिनांक 2.7.2007 के पत्र में संशोधन

किया था। आयोग द्वारा संचार में प्रयुक्त भाषा अस्पष्टता से मुक्त नहीं है। विवेकाधिकार, यदि कोई हो, सरकार पर निर्भर है। आयोग की सिफ़ारिशों को राज्य सरकार पर बाध्यकारी नहीं माना जा सकता। [पैरा 7] [855-सी-जी]

निर्मल चंद्र सिन्हा बनाम भारत संघ **(2009) 14 एससीसी 29**; जतिंदर कुमार और अन्य बनाम पंजाब राज्य (**1985) 1 एससीसी 122: 1985 (1) एससीआर 899**; भारत संघ बनाम एस.एस. उप्पल और अन्य **(1996) 2 एससीसी 168: 1996 (1) एससीआर 230**; कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम सी. ललिता **(2006) 2 एससीसी 747: 2006 (1) एससीआर 971**; उत्तरांचल राज्य और अन्य. बनाम दिनेश कुमार शर्मा **(2007) 1 एससीसी 683: 2006 (10)** पूरक एससीआर 1; पवन प्रताप सिंह एवं अन्य बनाम रीवन सिंह और अन्य **(2011) 3 सेकंड 267: 2011 (2) एससीआर 831 - पर भरोसा किया गया।**

केशव चंद्र जोशी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य **1992 पूरक (1) एससीसी 272: 1990 (2) पूरक एससीआर 573 - प्रतिष्ठित।**

केस लॉ संदर्भ:

1990 (2) पूरक एससीआर 573		प्रतिष्ठित	पैरा 3
(2009) 14 एससीसी	29	पैरा 3	पर भरोसा किया
1985 (1) एससीआर	899	पैरा 7	पर भरोसा किया

1996 (1) एससीआर 230 पैरा 11 पर भरोसा किया

2006 (1) एससीआर 971 पैरा 12 पर भरोसा किया 2006 (10) पूरक एससीआर 1 पैरा 13 पर भरोसा किया

2011 (2) एससीआर 831 पैरा 15 पर भरोसा किया

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2013 की सिविल अपील संख्या 6967

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ के 2008 की सेवा पीठ संख्या 1268 में निर्णय और आदेश दिनांक 21.12.2009 से।

पी.एन. मिश्रा , संजय वी., अभिष्ठ कुमार , अपीलकर्ता के लिए

उत्तरदाताओं की ओर से असीम चंद्रा, विवेक सिंह।

न्यायालय का निर्णय **दीपक मिश्रा,** जे. द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. प्रथम प्रतिवादी को 23.3.1996 को राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज व चिकित्सालय लखनऊ में"रस शास्त्र" में व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया था। राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 21.12.1990 के माध्यम से उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक कॉलेजों के शिक्षकों के लिए सेवा नियम, अर्थात् उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 (संक्षेप में, "नियम") अधिसूचित किया। नियमों के

तहत, व्याख्याताओं में से पदोन्नति पद रीडर है। चूंकि रीडर के संबंध में रिक्तियां नहीं भरी गईं, इसलिए प्रतिवादी नंबर 1 ने 2004 के डब्ल्यूपी नंबर 1136 (एस/बी) को उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ में प्रस्तुत किया, जिसमें उच्च न्यायालय ने राज्य के विद्वान वकील के कथन पर ध्यान दिया और निर्देश दिया कि यह चीजों की उपयुक्तता में होना चाहिए कि लोक सेवा आयोग गंभीर प्रयास करेगा छह महीने की अवधि के भीतर पदोन्नति से संबंधित प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए। अंततः 15.6.2005 को उ.प्र. लोक सेवा आयोग, (संक्षेप में 'आयोग'), प्रतिवादी नंबर 2 ने रीडर के पद पर पदोन्नति के लिए छह व्यक्तियों के नामों की सिफारिश की। जहां तक प्रतिवादी नंबर 1 का सवाल है, उसे क्रम संख्या 6 पर रखा गया था और उसमें यह उल्लेख किया गया था कि जिस रिक्ति के संबंध में पहले प्रतिवादी को पदोन्नति के लिए सिफारिश की गई थी, वह एक डॉ. हरि शंकर पांडे की 31.07.2001 को सेवानिवृत्ति के बाद उत्पन्न हुई थी। राज्य सरकार ने आयोग की सिफ़ारिश पर विचार करते हुए 16.8.2005 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी कर प्रथम प्रतिवादी को पदोन्नत करते हुए राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, लखनऊ में तैनाती दे दी। चूँकि प्रथम प्रतिवादी को 16.08.2005 से वरिष्ठता दी गई थीजो कि पदोन्नति के आदेश पारित होने की तारीख है, वह व्यथित महसूस कर रहा था और उक्त शिकायत ने उसे उ.प्र. राज्य लोक सेवा न्यायाधिकरण (संक्षेप में "अधिकरण") के समक्ष ओ.ए. क्रमांक 134 दिनांक 2006 प्रस्तुत करने

के लिए मजबूर किया। ।ट्रिब्यूनल ने दिनांक 2.2.2007 के आदेश द्वारा निर्देश दिया कि आवेदक को दिनांक 16.08.2005 के आदेश के विरुद्ध एक महीने की अवधि के भीतर सरकार को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहिए जिसका निराकरण दो माह के भीतर तर्कसंगत आदेश पारित कर किया जायेगा। उपरोक्त आदेश के क्रम में उ.प्र. राज्य द्वारा पत्र दिनांक 4.6.2007 द्वारा आयोग से उसकी सिफ़ारिश के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया था और आयोग से उक्त संचार प्राप्त होने के बाद और उचित विचार-विमर्श के बाद आदेश दिनांक 2.1.2008 द्वारा प्रथम प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व अस्वीकार कर दिया गया था और यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि पदोन्नति आदेश पारित करने की तिथि अर्थात 16.8.2005 से उन्हें वरिष्ठता प्रदान की गई थी।

3. अभ्यावेदन को खारिज करने के आदेश से दुखी होकर प्रतिवादी नंबर 1 ने अन्य बातों के साथ-साथ उच्च न्यायालय के समक्ष 2008 के डब्ल्यू.पी. नंबर 1268 (एस/बी) को प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया कि वह रिक्ति उत्पन्न होने की दिनांक से पूर्वव्यापी वरिष्ठता दिए जाने का हकदार है। उनके द्वारा रखे गए रुख और रुख का राज्य और उसके पदाधिकारियों ने जवाबी हलफनामा दायर करके विरोध किया कि 1990 के नियम 21 के अनुसार प्रतिवादी की वरिष्ठता पदोन्नति की तारीख से सही ढंग से तय की गई थी, न कि रिक्ति की तारीख से। प्रथम प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के ध्यान में लाया कि दस व्यक्तियों को पूर्वव्यापी प्रभाव से

वरिष्ठता प्रदान की गई थी और उसके साथ भेदभाव किया गया था। उच्च न्यायालय ने केशव चंद्र जोशी और अन्य बनाम भारत संघ[1] और अन्य में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भरोसा किया और उक्त फैसले के पैराग्राफ 24 को पुन: प्रस्तुत करने के बाद राय व्यक्त की कि उसमें निर्धारित सिद्धांत बाध्यकारी था और उस तर्क पर निर्मल चंद्र सिन्हा बनाम भारत संघ[2] के फैसले को अलग कर दिया। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि सेवा नियम स्वयं सरकार को रिक्ति की तारीख से वरिष्ठता तय करने का अधिकार देते हैं और जब दस पदोन्नत लोगों को रिक्ति की तारीख से वरिष्ठता प्रदान की गई थी तब अलग मानदंड अपनाकर याचिकाकर्ता को समान लाभ से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन को आमंत्रित करने वाले भेदभाव के समान है। इस दृष्टिकोण के आधार पर, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दिनांक 2.1.2008 के आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया और उसमें

1. 1992 Supp (1) SCC 272

2. (2009) 14 SCC 29.

प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने और उसके द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार एक नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया। विशेष अनुमति के माध्यम से इस अपील में यूपी राज्य और उसके

पदाधिकारियों द्वारा उपरोक्त आदेश की व्यवहार्यता पर सवाल उठाया गया है।

4. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील सी श्री पी. एन. मिश्रा द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने केशव चंद्र जोशी (सुप्रा) में दिए गए निर्णय पर भरोसा करके त्रुटि की है, क्योंकि इसे एक अलग संदर्भ में दिया गया था और इसके अलावा उच्च न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय से जो रेश्यो निकाला गया है वह सही नहीं है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस तर्क की आलोचना की है कि जब सेवा नियम स्वयं सरकार को रिक्ति के वर्ष से वरिष्ठता तय करने का अधिकार देता है, तो सरकार द्वारा रीडर के पद पर पदोन्नति की तारीख से प्रथम प्रतिवादी की वरिष्ठता तय करना उचित नहीं है। उनका आगे यह कहना है कि उच्च न्यायालय ने यह राय देकर गंभीर तथ्यात्मक त्रुटि की है कि 1990 के नियमों के नियम 21 के तहत जब रिक्ति की तारीख से 10 व्यक्तियों को वरिष्ठता प्रदान की गई थी, तो प्रतिवादी को समान लाभ नहीं दिया जाना भेदभाव के समान था, हालांकि यह स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड पर लाया जा चुका था कि सभी पदोन्नत उम्मीदवारों की वरिष्ठता पदोन्नति तिथि से तय की गई थी न कि संबंधित तिथियों से जब रिक्तियां निकली थीं।

5. श्री असीम चंद्रा, प्रतिवादी प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने आग्रह किया कि उच्च न्यायालय ने केशव चंद्र जोशी (सुप्रा) में बताए गए सिद्धांत को ठीक से लागू किया है और यह तीन न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय भी है जिसका उचित ढंग से पालन किया गया है और इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा किए गए विश्लेषण में कोई गलती नहीं पाई जा सकती। विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे क्योंकि विभाग ने पदोन्नति पदों को नहीं भरा है, प्रतिवादी को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए बाध्य किया गया था और उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के आधार पर जब पद भरे गए थे, तो अधिकारियों पर यह दायित्व था कि वे वरिष्ठता की गणना उस तारीख से करें जब रिक्ति हुई थी। उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि 1990 के नियमों के नियम 21 की भाषा राज्य सरकार को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करती है और इस मामले में अधिकारी असमान तरीके से उक्त शक्ति का प्रयोग करने में विफल रहे हैं और इसलिए उच्च न्यायालय पूर्वव्यापी प्रभाव से वरिष्ठता के निर्धारण के लिए निर्देश जारी करने में बिल्कुल उचित है और इसलिए, इसके द्वारा पारित आदेश बिल्कुल अभेद्य है।

6. सबसे पहले, हम भेदभाव के पहलू से निपटना उचित समझते हैं। उच्च न्यायालय ने, जैसा कि स्पष्ट है, राय दी है कि दस पदोन्नत लोगों को रिक्तियां उत्पन्न होने की तारीख से वरिष्ठता प्रदान की गई है। नियम 20 का संदर्भ दिया गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि अपीलकर्ताओं की

ओर से एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया गया है जिसमें स्थिति स्पष्ट की गई है कि जिन दस पदधारियों को पूर्वव्यापी वरिष्ठता का लाभ दिया गया था, उनका उत्तर प्रदेश राज्य मेडिकल कॉलेज शिक्षक सेवा (द्वितीय संशोधन) नियम, 2005 के नियम 15 के तहत चयन किया गया था। उक्त संशोधित नियम उत्तर प्रदेश राज्य मेडिकल कॉलेज शिक्षक सेवा नियम, 1990 में संशोधन करने के लिए 12.5.2005 को लागू किए गए थे। मूल नियमों का नियम 15 पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए प्रक्रिया से संबंधित है। 2005 का संशोधित नियम 15 व्यक्तिगत पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया प्रदान करता है। मूल नियमों का नियम 20 वरिष्ठता से संबंधित है और इसे संशोधित किया गया है और वर्तमान अवतार में उक्त नियम इस प्रकार है: -

> "20. वरिष्ठता - सेवा में किसी भी श्रेणी के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक वरिष्ठता नियम 1991 के अनुसार जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, के अनुसार होगी परंतु कि कोई व्यक्ति जो एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के पद को छोड़कर किसी अन्य पद पर आयोग की अनुशंसा, जिसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य मेडिकल कॉलेज शिक्षक सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2005 के प्रारंभ होने से पहले आयोग को अधियाचन भेजा गया था, के आधार पर

नियुक्त हो अपनी नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता के हकदार होंगे, इस बात के होते हुए भी कि एक ही भर्ती वर्ष में एक शिक्षक को नियम 15 के तहत उसी पद पर व्यक्तिगत पदोन्नति दी गई है।"

इस प्रकार, नियम 20 को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि कुछ श्रेणियों के पदधारी अपनी नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता के हकदार हैं, इस तथ्य के बावजूद भी कि उन्हें उसी भर्ती वर्ष में नियम 15 के तहत उसी पद पर व्यक्तिगत पदोन्नति प्रदान की गई है। यह स्पष्ट है कि वरिष्ठता का लाभ उन पदाधिकारियों को दिया गया है जो पूरी तरह से अलग नियमों द्वारा शासित हैं। जैसा कि हमने देखा, उच्च न्यायालय, ने 1990 के नियमों के नियम 21 का उल्लेख किया है जो प्रतिवादी संख्या 1 के मामले को नियंत्रित करता है। उक्त नियम स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि यदि नियुक्ति का आदेश एक विशेष पिछली तारीख को निर्दिष्ट करता है जिसके प्रभाव से कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया गया है तभी वह तिथि मौलिक नियुक्ति के आदेश की तिथि मानी जाएगी। उपरोक्त तथ्यों के वर्णन से, यह प्रदर्शित होता है कि प्रतिवादी विभिन्न नियमों द्वारा शासित होता है और अन्य श्रेणी के शिक्षकों को जो पदोन्नति दी गई है, वह अलग नियमों के तहत है। जब वरिष्ठता नियमों के दो अलग-अलग सेटों द्वारा शासित होती है, तो यह समझ से परे है कि कोई अन्य नियमों में निहित वरिष्ठता के निर्धारण से संबंधित नियम के

आधार पर वरिष्ठता का दावा कर सकता है। प्रतिवादी नंबर 1 अपने मामले को 1990 के नियमों के नियम 21 के तहत आधारित करने के लिए बाध्य है जिसके द्वारा वह शासित है। इस प्रकार विश्लेषण करने पर, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने भेदभाव होने के निष्कर्ष को दर्ज करने में गलती की है। यदि राज्य सरकार ने 1990 के नियमों के नियम 21 के तहत समान नियमों द्वारा शासित समान पद वाले व्यक्तियों को लाभ दिया होता तो भेदभाव का प्रश्न उठता। यह स्थिति नहीं होने के कारण हमें डर है कि उस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया दृष्टिकोण टिकाऊ नहीं है।

7. इस संदर्भ में यह कहना प्रतीत होता है कि चयन समिति द्वारा दिनांक 19.5.2005 को आयोजित बैठक में चयनित अभ्यर्थियों के नाम आयोग को भेजे गये थे। ज्ञात हो कि, छह उम्मीदवार, अर्थात् डॉ. हरि शंकर पांडे, डॉ. जय राम वर्मा, डॉ. एस.के. आर्य, डॉ. वी.पी. उपाध्याय, डॉ. लाल बहादुर सिंह और डॉ. अशोक कुमार श्रीवास्तव को पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया गया और उनमें से किसी को भी रिक्ति निकलने की तारीख से पूर्वव्यापी वरिष्ठता नहीं दी गई। उच्च न्यायालय ने लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर भरोसा दिया है जो दिनांक 4.6.2007 के प्रश्न का उत्तर था। आयोग ने दिनांक 10.8.2007 के पत्र द्वारा कहा था कि डॉ. अशोक कुमार श्रीवास्तव को दिनांक 31.7.2001 को डॉ. हरि शंकर पांडे की सेवानिवृत्ति के कारण सृजित रिक्ति की तिथि से आयुर्वेदिक एवं यूनानी

कॉलेज के रीडर के पद पर पदोन्नत करने की अनुशंसा की जा चुकी है। । यहां यह नोट करना उचित है कि आयोग ने अपनी स्पष्टीकरण अनुशंसा में अपने पत्र दिनांक 2.7.2007 में संशोधन किया था। यह भी समझने योग्य है कि आयोग द्वारा संचार में इस्तेमाल की गई भाषा अस्पष्टता से मुक्त नहीं है। इसके अलावा, विवेकाधिकार, यदि कोई हो, सरकार के पास है। जो भी हो, आयोग की सिफ़ारिशों को राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं माना जा सकता।(जतिंदर कुमार और अन्य बनाम पंजाब राज्य देखें। [3])3. (1985) 1 SCC 122.

इस प्रकार, यह समझ में आता है कि प्रतिवादी नंबर 1 के साथ पदोन्नत किए गए सभी पदधारियों को पदोन्नति की तारीख से वरिष्ठता दी गई थी, न कि उस तारीख से जब रिक्तियां उत्पन्न हुई थीं। . इसलिए, मनमाने भेदभाव का तथ्य उत्पन्न नहीं होता है और तदनुसार हम उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से सहमत होने में असमर्थ हैं।

8. अब हम नियम की स्थिति पर ध्यान देंगे। 1990 के नियमों के नियम 21 का प्रासंगिक भाग जिसके द्वारा प्रथम प्रतिवादी शासित होता हैं, नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

> "21। वरिष्ठता - (1) इसके बाद वर्णित किए गए को छोड़कर, किसी भी श्रेणी के पदों पर व्यक्तियों की वरिष्ठता मूल नियुक्ति के आदेश की तारीख से निर्धारित की जाएगी

और यदि दो या दो से अधिक व्यक्तियों को एक साथ उस क्रम से नियुक्त किया जाता है जिसमें उनके नाम नियुक्ति आदेश में व्यवस्थित होते हैं:

परंतु कि यदि नियुक्ति आदेश एक विशेष पिछली तारीख निर्दिष्ट करता है जिसके प्रभाव से एक व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया गया है, तो वह तारीख मौलिक नियुक्ति के आदेश की तारीख मानी जाएगी और अन्य मामलों में, इसका मतलब आदेश जारी करने की तारीख होगा:

परंतु और कि, यदि एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किए जाते हैं तब वरिष्ठता नियम 18 के उप-नियम (3) के तहत जारी नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित अनुसार होगी: -

परंतु यह भी कि सीधे भर्ती किया गया उम्मीदवार अपनी वरिष्ठता खो सकता है यदि वह रिक्ति ऑफर होने पर वैध कारणों के बिना शामिल होने में विफल रहता है , कारण की वैधता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।"

9. उपरोक्त नियम की जांच करने पर यह स्पष्ट है कि अभ्यर्थियों की वरिष्ठता मूल नियुक्ति आदेश की तिथि से निर्धारित की जानी है। परंतुक यह निर्धारित करके एक अपवाद बनाता है कि यदि नियुक्ति आदेश एक विशेष पिछली तारीख को निर्दिष्ट करता है जिसके प्रभाव से किसी व्यक्ति को मूल रूप से नियुक्त किया जाता है तो उस तारीख को मौलिक नियुक्ति का आदेश माना जायेगा अन्यथा यह आदेश जारी होने की तिथि होगी। दूसरे परंतुक में स्पष्ट किया गया है कि वरिष्ठता का निर्धारण तब किया जाएगा जब किसी एक चयन के संबंध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। पूर्वोक्त से, यह स्पष्ट है कि जब तक नियुक्ति पत्र में अन्यथा निर्धारित न किया गया हो, वरिष्ठता की गणना पद पर नियुक्ति की तिथि से की जानी है। मौजूदा मामले में, नियुक्ति पत्र में कुछ भी निर्धारित नहीं किया गया है। उच्च न्यायालय ने परिणामी लाभों के साथ पूर्वव्यापी वरिष्ठता प्रदान करते समय केशव चंद्र जोशी (सुप्रा) में बताए गए सिद्धांत पर भरोसा किया है। उक्त मामले में, विवाद सीधी भर्ती और पदोन्नत लोगों के बीच वरिष्ठता के निर्धारण से संबंधित है। तीन न्यायाधीशों की बेंच ने उस याचिका पर ध्यान दिया जिसका प्रभाव यह था कि - पदोन्नत लोगों को सभी परिणामी लाभों के साथ सहायक वन संरक्षक के रूप में उनकी प्रारंभिक पदोन्नति की संबंधित तिथियों से नियमित रूप से नियुक्त घोषित किया जाना चाहिए। उक्त याचिका को

समर्थित करने के लिए यह आग्रह किया गया था कि यद्यपि सहायक वन संरक्षकों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की अनुपलब्धता के कारण पदोन्नत लोगों को तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था, फिर भी वे 5 से 12 वर्षों से अधिक समय से समान कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, बिना किसी उलटफेर के समान वेतनमान प्राप्त कर रहे थे और इसलिए, उनके द्वारा रखे गए पद न तो आकस्मिक थे, न ही स्टॉप गैप थे। इस पृष्ठभूमि में यह तर्क दिया गया कि उनकी प्रारंभिक पदोन्नति की तारीखों से सेवा की पूरी निरंतर अवधि को उनकी वरिष्ठता में गिना जाना चाहिए। विरोध में, यह आग्रह किया गया कि पदोन्नत व्यक्तियों की नियुक्ति स्वीकृत रूप से तदर्थ होने के कारण, उन्हें पदों पर कोई अधिकार नहीं है और इसलिए, उनकी वरिष्ठता की गणना केवल उनकी मूल नियुक्ति की तारीखों से की जा सकती है। न्यायालय ने प्रासंगिक नियमों की संरचना को स्कैन करने के बाद राय दी कि सेवा का सदस्य बनने के लिए उन्हें दो शर्तों को पूरा करना होगा, अर्थात्, नियुक्ति वास्तविक क्षमता में होनी चाहिए और नियुक्ति सेवा में पद पर नियमों के अनुसार होनी चाहिए और मूल रिक्ति के लिए कोटे के भीतर हो। विद्वान न्यायाधीशों ने देखा कि मूल क्षमता में नियुक्ति और मूल पद पर नियुक्ति के बीच एक स्पष्ट अंतर मौजूद है। इसलिए, सेवा की सदस्यता से पहले राज्यपाल द्वारा वैध रूप से पद पर नियुक्ति का आदेश दिया जाना चाहिए। तभी वह/वे सेवा के सदस्य/सदस्य बनते हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि कोई भी भिन्न निर्धारण

नियमों का उल्लंघन होगा। ऐसा व्यक्त करने के बाद, न्यायालय ने दो प्रश्न पूछे: -

> "जब पदोन्नत लोग नियमों के अनुसार सहायक संरक्षकों के कैडर के सदस्य बन जाते हैं, और क्या प्रारंभिक नियुक्तियों की तारीख से सेवा की पूरी अवधि को उनकी वरिष्ठता में गिना जाना चाहिए।"

इसके बाद, मामले के कानून के पूरे पहलू का विश्लेषण करते हुए, यह राय दी कि प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के कारण पूरी तरह से तदर्थ या स्थानापन्न आधार पर नियुक्त कर्मचारी, भले ही एक लंबी अवधि के लिए जारी रहे, सेवा के सदस्य नहीं बनते जब तक कि राज्यपाल उन्हें नियमानुसार नियुक्त नहीं करते और इसलिए वे अपनी वरिष्ठता के लिए अपनी निरंतर स्थानापन्न या आकस्मिक सेवा की पूरी अवधि को गिनने के हकदार नहीं हैं। आखिरकार, अनुच्छेद 24 में, जिसे उच्च न्यायालय ने अपने तर्क की संरचना बनाने के लिए आक्षेपित आदेश में संपूर्ण रूप से पुन: प्रस्तुत किया है, संक्षेप में, इसे इस प्रकार निर्धारित किया गया है: -

"यह कुख्यात है कि किसी कर्मचारी की मूल पद पर पुष्टि सेवानिवृत्ति के कई वर्षों बाद होगी। एक कर्मचारी उच्च पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का हकदार है यदि वह मूल निचले पद पर अनुमोदित परिवीक्षाधीन है। एक अधिकारी जो पदोन्नति द्वारा नियमो के अनुसार नियुक्त किया जाता है, और कोटा के भीतर और परिवीक्षा की घोषणा पर वह पदोन्नति की तारीख से अपनी वरिष्ठता की गणना करने का हकदार है और सेवा की पूरी अवधि, भले ही शुरू में अस्थायी हो, वरिष्ठता के लिए गिनी जाएगी। अस्थायी या स्टॉप गैप के आधार पर तदर्थ या आकस्मिक नियुक्तियां वरिष्ठता के प्रयोजन से विचार में नही लाई जा सकती भले ही नियुक्त व्यक्ति बाद में नियमित आधार पर इस पद पर बने रहने के लिए योग्य हो। ऐसी सेवा का लाभ देना संविधान के अनुच्छेद 16(1) के साथ पठित अनुच्छेद 14 में निहित समानता के विपरीत होगा क्योंकि असमानों को समान माना जाएगा। जब पदोन्नति कोटा से बाहर होती है, तो वरिष्ठता की गणना कोटा के भीतर रिक्ति की तारीख से की जाएगी, जिससे पिछली सेवा आकस्मिक हो जाएगी। पिछली पदोन्नति केवल कोटा के भीतर रिक्ति की तारीख से नियमित होगी और

वरिष्ठता की गणना उस तारीख से की जाएगी, न कि उसकी पिछली पदोन्नति या उसके बाद की पुष्टि की तारीख से।"

अंतिम निष्कर्ष में विद्वान न्यायाधीशों ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया: -

"तदनुसार हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि पदोन्नत लोगों को स्टॉप गैप व्यवस्था के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया है, हालांकि मूल पदों पर, और जब तक कि नियमों के अनुसार नियमित भर्ती नहीं हो जाती। उनकी नियुक्तियाँ नियमों से परे होती हैं और जब तक उन्हें राज्यपाल द्वारा नियमों के अनुसार नियुक्त नहीं किया जाता है, तब तक वे मूल रूप से सेवा के सदस्य नहीं बनते हैं। प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से तदर्थ सेवा की निरंतर अवधि को वरिष्ठता में नहीं गिना जा सकता है।

10. उपरोक्त से यह स्पष्ट है की उक्त निर्णय के तथ्यों में रिक्ति की तारीख से वरिष्ठता की गणना को उच्च न्यायालय द्वारा पूरी तरह से गलत समझा गया है। केशव चंद्र जोशी (सुप्रा) के मामले में, जो विवाद उत्पन्न हुआ वह सीधी भर्ती और पदोन्नत लोगों के बीच वरिष्ठता से

संबंधित था। न्यायालय ने कहा कि जब पदोन्नत व्यक्तियों के कोटे से परे पदोन्नति दी जाती है तब वरिष्ठता की गणना पदोन्नत व्यक्तियों के लिए निर्धारित कोटा के भीतर उत्पन्न होने वाली रिक्ति की तारीख से की जानी है। न्यायालय ने आगे कहा कि पिछली पदोन्नति कोटे के भीतर रिक्ति की तारीख से नियमित होगी तथा वरिष्ठता की गणना केवल उस तारीख से की जाएगी, न कि पहले की पदोन्नति या बाद की पुष्टि की तारीख से। तथ्यात्मक मैट्रिक्स, प्रासंगिक नियम, सीधी भर्ती कोटा की अवधारणाएं और पदोन्नत कोटा और आकस्मिक नियुक्ति और उसमें बताए गए सिद्धांत का वर्तमान मामले के संदर्भ में पूर्वव्यापी वरिष्ठता प्रदान करने से कोई लेना-देना नहीं है। इस प्रकार, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि उच्च न्यायालय ने केशव चंद्र जोशी (सुप्रा) में निर्धारित रेश्यो को गलत तरीके से लागू किया है।

11. मामले का जोर इस बात पर है कि ऐसी परिस्थितियों में वरिष्ठता कैसे निर्धारित की जाए। भारत संघ बनाम एस.एस. उप्पल एवं अन्य[4], में यह राय दी गई है कि किसी व्यक्ति की वरिष्ठता नियुक्ति की तिथि पर लागू वरिष्ठता नियम के अनुसार निर्धारित की जानी है। यह भी कहा गया है कि वरिष्ठता में वेटेज को पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जा सकता है जब

---

4. (1996) 2 SCC 168.

तक कि यह भौतिक समय पर लागू नियम में विशेष रूप से प्रदान नहीं किया जाता है।

12. कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम सी. ललिता[5] में यह कहा गया है कि यह अच्छी तरह

से स्थापित है कि वरिष्ठता नियमों द्वारा शासित होनी चाहिए और किसी व्यक्ति को अन्य कर्मचारियों पर कोई अनुचित लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, न्याय की अवधारणा यह मांग करती है कि किसी को कानून के मुताबिक बकाया उसका हक मिलना चाहिए।

13. उत्तरांचल राज्य एवं अन्य बनाम दिनेश कुमार शर्मा[6] में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वरिष्ठता नियुक्ति की तिथि पर लागू नियमों के आधार पर तय की जानी है और कोई भी पूर्वव्यापी पदोन्नति या वरिष्ठता उस तिथि से नहीं दी जा सकती जब एक कर्मचारी का कैडर में जन्म भी नहीं हुआ है।

14. निर्मल चंद्र सिंह (सुप्रा) में यह फैसला सुनाया गया है कि पदोन्नति दिए जाने की तारीख से प्रभावी होती है न कि रिक्ति के उत्पन्न या पद के सृजन की तारीख से. उसमें यह भी कहा गया है कि कानून में यह स्थापित है कि रिक्ति की तिथि वरिष्ठता के निर्धारण के लिए प्रासंगिक नहीं है।

15. अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने पवन प्रताप सिंह और अन्य बनाम रीवन सिंह और अन्य[7] में हाल के निर्णय से प्रेरणा ली है, जहां न्यायालय ने क्षेत्र में पहले के निर्णयोंका

---

5. (2006) 2 SCC 747.

6. (2007) 1 SCC 683.

7. (2011) 3 SCC 267.

उल्लेख करने के बाद कुछ सिद्धांत निकाले हैं जिनमें से प्रासंगिक होने के कारण निम्नलिखित को नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> "(ii) किसी विशेष सेवा में पारस्परिक वरिष्ठता सेवा नियमों के अनुसार निर्धारित की जानी है। किसी विशेष सेवा में प्रवेश की तारीख या मूल नियुक्ति की तारीख एक अधिकारी या अन्य के बीच या अधिकारियों के एक समूह और विभिन्न स्रोतों से भर्ती किए गए अन्य के बीच पारस्परिक वरिष्ठता तय करने के लिए सबसे सुरक्षित मानदंड है। वैधानिक नियमों, कार्यकारी निर्देशों या अन्यथा में कोई भी विचलन संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए।
>
> xxxxxxxxx

(iv) वरिष्ठता की गणना रिक्ति की तारीख से नहीं की जा सकती है और इसे पूर्वव्यापी रूप से नहीं दिया जा सकता है जब तक कि यह प्रासंगिक सेवा नियमों द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब कोई कर्मचारी कैडर में शामिल नहीं हुआ है तो उसे पूर्वव्यापी आधार पर वरिष्ठता नहीं दी जा सकती है और ऐसा करने से उन कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है जिन्हें इस बीच वैध रूप से नियुक्त किया गया है।"

16. उपरोक्त कानून की व्याख्या के मद्देनजर, स्पष्ट निष्कर्ष यह है कि पूर्वव्यापी वरिष्ठता प्रदान करने के लिए पहले प्रतिवादी का दावा बिलकुल पोषणीय नही है और उच्च न्यायालय से उसे उक्त लाभ देने में त्रुटि हुई है और तदनुसार आक्षेपित आदेश रद्द किए जाने योग्य है और हम ऐसा करते हैं।

17. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया जाता है। पक्ष अपने अपने खर्चे वहन करेंगे।

के.के.टी.

अपील स्वीकार की गई।

नकुल अग्रवाल

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक नकुल अग्रवाल (न्यायिक अधिकारी) द्वारा किया गया है। अस्वीकरणः- यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंगेे्रजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।